संख्या-1345/सोलह-3-2016-15(55)/2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त 2016

विषय- प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्पन्न करायी जाने वाली परीक्षाओं के विभिन्न कार्यो हेतु पारिश्रमिक दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रा0शि0प0/लेखा/पारिश्रमिक दरें/2016-17/6874, दिनांक 27.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न कार्यो की वर्तमान प्रचलित पारिश्रमिक दरों में संशोधन करने के संबंध में आपके पत्र/ प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ने शासनादेश संख्या-1389(3)/सोलह-प्रा0शि0-3-2007, दिनांक 23.10.2007 द्वारा प्रचलित दरों को एतद्द्वारा पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| कम सं0 | मदें | वर्तमान दर | पुनरीक्षित दरें |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रश्नपत्र का निर्माण | रू0 750/-प्रति प्रश्न पत्र | रू0 1000/- प्रति प्रश्न पत्र |
| 2 | माडरेशन कार्य | रू0 350/-प्रतिदिन | रू0 600 प्रति दिन |
| 3 | अनुवाद (हिन्दी में) | रू0 225/-प्रति प्रश्नपत्र | रू0 350 प्रति प्रश्न पत्र |
| 4. | उत्तर पुस्तिकाओं का जांचना (सभी प्रकार की) | रू0 7.50/-प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम रू0 300/-) | रू0 15 प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम रू0 300/-) |

T.E.B Lt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | कियात्मक एवं मौखिक (प्रायोगिक परीक्षाएं) | रू0 7.50/–प्रति छात्र तीन घंटे तक (न्यूनतम रू0 150/–) रु. 9/– प्रतिछात्र तीन घंटे से ऊपर (न्यूनतम रू0 250/–) | रू0 15/– प्रति छात्र तीन घंटे तक (न्यूनतम रू0 300/–) 18 प्रति छात्र 3 घंटे से उपर (न्यूनतम रू0 300/–) |
| 6 | उत्तर पुस्तिकाओं की स्कीनिंग/ स्कूटनी | रू0 2.25/–प्रति उत्तर पुस्तिका | रू0 3/– प्रति उत्तर पुस्तिका |

2- इस संबंध मे पूर्व निर्गत शासनादेशो को एतद्सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1245/दस-2016, दिनांक 12 अगस्त 2016 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

सुरेश चन्द्र
उप सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
3. समस्त राजकीय/ अनुदानित पालीटेक्निक/ निजी क्षेत्र के पालीटेक्निक संस्थाओं के प्रधानाचार्य (सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के माध्यम से)।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
उप सचिव।